Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 49-2026/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 6, 2026 (CHAITRA 16, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

आदेश

दिनांक 6 अप्रैल, 2026

संख्या 09/05/2026–4क–II.– हरियाणा नगरनिगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप–धारा (1) के साथ पठित धारा 89 की उप–धारा (1) के खण्ड (a) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, आदेश संख्या 14/2/2011–3क–II, दिनांक 9 मार्च, 2011 में तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः–

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, आदेश संख्या 14/2/2011–3क–II, दिनांक 9 मार्च, 2011 में, "अन्य निबंधन तथा शर्तें" शीर्ष के नीचे, पैरा 6 में, उप–पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ख) जहां जल तथा सीवरेज उपयोगकर्ता प्रभारों का भुगतान देय तिथि के भीतर नहीं किया जाता है, तो वहां केवल चालू बिलों पर एक बार के लिए 10 प्रतिशत की दर पर अधिभार/शास्ति उद्गृहीत की जाएगी तथा न कि पश्चात्वर्ती बिलों में बिल की कुल राशि पर:

परन्तु 31 दिसम्बर, 2025 तक की अवधि के लिए बिलों के बकाया पर सौ प्रतिशत अधिभार की एक बारगी छूट अनुमत होगी, यदि बिलों के वर्तमान भुगतान के साथ 31 मई, 2026 तक उनका भुगतान कर दिया जाता है। ऐसी छूट केवल मीटरयुक्त कनेक्शनों वाले उपभोक्ताओं को दी जाएगी। यदि मीटर रहित कनेक्शनों के माध्यम से आपूर्ति वाला कोई उपभोक्ता इस छूट का लाभ लेने का इच्छुक है, तो उसे प्रथमतः मीटरयुक्त कनेक्शन प्राप्त करना होगा। 31 मई, 2026 के बाद, चूक करने वाले उपभोक्ताओं की आपूर्ति काट दी जाएगी।"

अशोक कुमार मीना,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Order

The 6th April, 2026

No. 09/05/2026-4CII.— In exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (1) of section 89 read with sub-section 1 of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Haryana Government, Urban Local Bodies Department, Order No. 14/2/2011-3C-II, dated the 9th March, 2011 with immediate effect, namely: -

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, Order No. 14/2/2011-3C-II, dated the 9th March, 2011, under the heading "Other Terms and Conditions", in para (6), for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely: -

"(b) Where the water and sewerage user charges amount is not paid within the due date, then one time surcharge/penalty @ 10% shall be levied on current bill only and not on total amount of bill in subsequent bills:

Provided that one-time waiver of hundred percent surcharge on arrears shall be allowed on the bills for the period upto 31st December, 2025, if the same is paid by 31st May, 2026 alongwith upto date current payment of the bills. Such waiving off shall be given only to the consumers having metered connections. If any consumer having supply through unmetered connection intends to avail this waiver, he shall first get the metered connection. Supply to consumer in default shall be disconnected after the 31st May, 2026".

ASHOK KUMAR MEENA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

12533—C.S.—H.G.P., Pkl.